उत्तर प्रदेश शासन

स्टाम्प एवं रजिस्टेशन अनुभाग-2

संख्या-5/2021/398/94-स्टा0नि0-2-2021-700(265)/2016

लखनऊ : दिनांक 25 मार्च, 2021

अधिसूचना

आदेश

साधारण खण्ड अधिनियम 1897 (अधिनियम संख्या 10 सन् 1897) की धारा 21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश में उसकी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में यथा संशोधित भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (अधिनियम संख्या 2 सन् 1899) की धारा 74 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल उत्तर प्रदेश स्टाम्प नियमावली, 1942 को संशोधित करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाती हैं:-

उत्तर प्रदेश स्टाम्प (पचासवॉ संशोधन)नियमावली, 2021

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ 1. (1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश स्टाम्प (पचासवॉ संशोधन) नियमावली, 2021 कही जायेगी।

(2) यह गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

नियम-218 का संशोधन 2. उत्तर प्रदेश स्टाम्प नियमावली, 1942 में, नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये नियम 218 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:-

स्तम्भ-1	स्तम्भ-2
विद्यमान नियम	**एतदद्वारा प्रतिस्थापित नियम**
218- बिगड़े हुए स्टाम्पों के मूल्य की वापसी या नवीकरण, भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 के अध्याय पांच की धारा-49 से 53 के अनुसार किया जायेगा। वापसी अथवा नवीकरण हेतु आवेदन, सहायक आयुक्त, स्टाम्प के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा। सहायक आयुक्त, स्टाम्प ऐसे बिगड़े या अनुपयोगी स्टाम्पों या ऐसे स्टाम्पों, जिनकी आवश्यकता नहीं है, की वापसी या नवीकरण के प्रकरण का निस्तारण करेगा, परन्तु यह कि वापसी का	**218-** बिगड़े हुए स्टाम्पों के मूल्य की वापसी या नवीकरण, भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 के अध्याय पांच की धारा 49 से 55 के अनुसार किया जायेगा। वापसी अथवा नवीकरण हेतु आवेदन, सहायक आयुक्त, स्टाम्प के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए। सहायक आयुक्त, स्टाम्प ऐसे बिगड़े या अनुपयोगी स्टाम्पों या ऐसे स्टाम्पों, जिनकी आवश्यकता नहीं है, की वापसी या नवीकरण के प्रकरण का निस्तारण करेगा, परन्तु यह कि वापसी का आवेदन, स्टाम्प के क्रय के दिनांक

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

आवेदन, स्टाम्प के क्रय के दिनांक से दो वर्ष के भीतर प्रस्तुत किया गया हो। तथापि ऐसे स्टाम्प के क्रय के दिनांक से दो वर्ष की समाप्ति के पश्चात किन्तु चार वर्ष की अवधि के भीतर, उपायुक्त स्टाम्प द्वारा नवीकरण या वापसी के लिए अनुमोदन, प्रदान किया जा सकेगा। तथापि चार वर्ष की समाप्ति के पश्चात किन्तु आठ वर्ष के भीतर नवीकरण या वापसी, सरकार के अनुमोदन के पश्चात की जा सकेगी। स्टाम्पों के क्रय के दिनांक से आठ वर्ष की अवधि के पश्चात कोई नवीकरण या वापसी नहीं की जायेगी। परन्तु यह और कि उपरोक्त नियम में उल्लिखित ऐसे मामलों में जिनमें दो वर्ष की अवधि समाप्त हो गयी हो या जिनमें स्टाम्प दो वर्ष पूर्व क्रय किये गये हों और दो वर्ष की अवधि व्यतीत हो जाने के पश्चात ऐसे स्टाम्पों के मूल्य की वापसी या ऐसे स्टाम्पों, जिनकी आवश्यकता नहीं रह गयी है, के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा कार्यवाही की जानी अपेक्षित थी, कोई भी आवेदन पत्र इस नियम में संशोधन किये जाने या इसके सरकारी अधिसूचना में प्रकाशित होने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के पश्चात स्वीकार नहीं किया जायेगा।	से दो वर्ष के भीतर प्रस्तुत किया गया हो। तथापि ऐसे स्टाम्प के क्रय के दिनांक से दो वर्ष की समाप्ति के पश्चात् किन्तु चार वर्ष की अवधि के भीतर, उपायुक्त स्टाम्प द्वारा नवीकरण या वापसी के लिए अनुमोदन, प्रदान किया जा सकेगा। तथापि चार वर्ष की समाप्ति के पश्चात् किन्तु आठ वर्ष के भीतर नवीकरण या वापसी, आयुक्त स्टाम्प, उत्तर प्रदेश के अनुमोदन के पश्चात् की जा सकेगी। स्टाम्पों के क्रय के दिनांक से आठ वर्ष की अवधि के पश्चात् कोई नवीकरण या वापसी नहीं की जायेगी।

आज्ञा से,

वीना कुमारी

प्रमुख सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- **यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।**

2- **इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट** http://shasanadesh.up.gov.in **से सत्यापित की जा सकती है ।**

संख्या-5/2021/398/94-स्टा0नि0-2-2021 एवं तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ०प्र०।
2. महानिरीक्षक निबन्धन/आयुक्त स्टाम्प, उ०प्र०।
3. समस्त मण्डलायुक्त, उ०प्र०।
4. समस्त जिलाधिकारी/अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०), उ०प्र० ।
5. समस्त संबंधित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उ०प्र० ।
6. वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-1/2 ।
7. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-9 ।
8. संबंधित उप/सहायक महानिरीक्षक निबन्धन, उ०प्र०।
9. गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,
अजय कुमार अवस्थी
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- **यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।**

2- **इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट** http://shasanadesh.up.gov.in **से सत्यापित की जा सकती है ।**

Uttar Pradesh Shasan

Stamp Evam Registration Anubhag-2

The Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification No. 5/2021/398/94-S.R.-2-2021- 700(265)/2016, Dated 25 March, 2021 for general information.

No. 5/2021/398/94-S.R.-2-2021-700(265)/2016

Lucknow, Dated, 25 March, 2021

Notification

Order

In exercise of the powers under section 74 of the Indian Stamp Act, 1899 (Act no. 2 of 1899) as amended in its application to Uttar Pradesh, read with section 21 of the General Clauses Act, 1897 (Act no. 10 of 1897), the Governor, is pleased to make the following rules with a view to amending the U.P. Stamp Rules, 1942.

The Uttar Pradesh Stamp (Fiftieth Amendment) Rules, 2021.

Short title and commencement 1- (1) These Rules may be called The Uttar Pradesh Stamp (Fiftieth Amendment) Rules, 2021.

(2) They shall come into force with effect from the date of their publication in the Gazette.

Amendment of rule 218. 2- In the U.P. Stamp Rules, 1942 for rule 218 set out in comumn-1 below the rule as set out in column-2 shall be substituted, namely :-

Column-1	Column-2
Existing rule	**Rule as hereby substituted**
218- The refund or renewal of the value of spoiled stamps shall be made in accordance with Section 49 to 53, Chapter V of the Stamp Act, 1899. The application for the refund or renewal should be presented before the Assistant Commissioner, Stamp. Assistant Commissioner, Stamp shall dispose the case of refund or renewal of spoiled or useless or such stamps which are not required, provided that the application for refund is presented within two years from the date of purchase of the stamp. However after the expiry of two years but within a period of four years from the date of purchase of such stamp, the approval for renewal or refund may be granted by The Deputy Commissioner	**218-** The refund or renewal of the value of spoiled stamps shall be made in accordance with Section 49 to 55, Chapter V of the Indian Stamp Act, 1899. The application for the refund or renewal should be presented before the Assistant Commissioner, Stamp. Assistant Commissioner, Stamp shall dispose the case of refund or renewal of spoiled or useless or such stamps which are not required, provided that the application for refund is presented within two years from the date of purchase of the stamp. However after the expiry of two years but within a period of four years from the date of purchase of such stamp, the approval for renewal or refund may be granted by the Deputy Commissioner Stamp.

http://shasanadesh.up.gov.in

1- **यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।**

2- **इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट** http://shasanadesh.up.gov.in **से सत्यापित की जा सकती है ।**

Stamp. However after the expiry of four years but within eight years the renewal or refund may be done after the approval of **the Government.** There shall be no renewal or refund after the period of eight years from the date of purchase of the stamps. Provided further that no application shall be accepted after the period of one year from the date of amendment in this rule or its publication in government notification in cases as mentioned in above rule, where the period of two years has expired or where the stamp is purchased two years ago and after the expiry of two years the action was to be taken by the state government regarding refund of the value of such stamp or the stamps which are not required.	However after the expiry of four years but within eight years the renewal or refund may be done after the approval of the **Commissioner Stamps Uttar Pradesh.** There shall be no renewal or refund after the period of eight years from the date of purchase of the stamps.

By order
Veena Kumari
Pramukh Sachiv

http://shasanadesh.up.gov.in

1- **यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।**
2- **इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट** http://shasanadesh.up.gov.in **से सत्यापित की जा सकती है ।**